सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 09.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों को सुना।

आज दिनांक 09.07.2025 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय मे जनसुनवाई किया गया। जनसुनवाई मे कुल 11 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिसमे 02 परिवारीक विवाद व 02 मारपीट तथा शेष 07 अन्य विवाद से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र थें। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया।

सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 09.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "एक पेड़ मां के नाम 2.0" वृक्षारोपण महाभियान 2025 के तहत पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति किया गया जागरूक।

आज दिनांक 09.07.2025 को डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून 2025) के अवसर पर "एक पेड़ मां के नाम 2.0" वृक्षारोपण महाभियान 2025 के तहत पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण किया गया एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सभी अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रोत्साहित किया गया। इसी क्रम में प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व अरूण कान्त सिंह क्षेत्राधिकारी लाइन जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान प्रभारी प्रतिसार निरीक्षक लाइन एवं लाइन के अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण मौजूद रहें।

प्रेस नोट दिनांक 09.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆सिद्धार्थनगर एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर मनचलों एवं शोहदों की चेकिंग की गयी।

डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में , अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में मनचलों एवं रोमियो के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 09.07.2025 को प्रभारी एण्टी रोमियो स्कवाड टीम/शक्ति मोबाइल द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत एण्टी रोमियो कार्यवाही के तहत थाना क्षेत्र सिद्धार्थनगर मे राजकीय उद्यान, बुद्ध वन बिहार व थाना क्षेत्र मोहाना मे सीकरी बाजार, वर्डपुर, चौक व स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थाना क्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों पर चेकिंग की गयी तथा महिला दुकानदारों से नियमित आए दिन चौराहों बाजारों आदि में अनावश्यक घूमने वाले शोहदों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, चेकिंग के दौरान कोई अप्रिय बात नहीं रही।

एण्टी रोमियों टीम का विवरण-

01.शाइस्ता प्रभारी एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

02.महिला मुख्य आरक्षी मधु, सुनीता यादव एण्टी रोमियो स्क्वायड सिद्धार्थनगर।

03. आरक्षी श्री प्रकाश चौरसिया एंटी रोमियो स्क्वायड जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 09.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार पीट के 02 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक की अवधि व प्रत्येक को ₹ 2,000/-2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ.अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 08.07.2025 को ST.N 180/2009 मु0अ0सं0 33/1994 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 में थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वकील, न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी/एसीजेएम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त 01.मेवा लाल यादव पुत्र रमेश्वर 02.मिश्रीलाल पुत्र रमेश्वर निवासीगण कुसुम्ही थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की अवधि व प्रत्येक को ₹ 2,000/-2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्रीनिवास पासवान थाना उसका बाजार का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 09.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार पीट के 02 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक की अवधि व प्रत्येक को ₹ 1,500/-1,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ.अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 07.07.2025 को ST.N 1366/2002 मु0अ0सं0 15/1995 धारा 323,504 भा0द0वि0 में थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वकील, न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी/एसीजेएम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त 01.शेषमणि पुत्र दयाराम 02.भागीरथी पुत्र आंवल निवासीगण रानीगंज थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की अवधि व प्रत्येक को ₹ 1,500/-1,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्रीनिवास पासवान थाना उसका बाजार का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 09.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

एक पेड़ मां के नाम 2.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाने एवं कार्यालयों के परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति किया गया जागरूक।

आज दिनांक 09.07.2025 को डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में "एक पेड़ मां के नाम 2.0" वृक्षारोपण महाभियान 2025 के तहत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा थानों एवं कार्यालय के परिसर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 09.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆सीमा चौकी सशस्त्र सीमा बल ककरहवा में थाना मोहाना पुलिस, कस्टम विभाग, नेपाल APF तथा नेपाल पुलिस के साथ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समन्वय बैठक का आयोजन किया गया एवं भारत-नेपाल सीमा पर पैदल गस्त किया गया।

आज दिनांक 14.05.2025 को भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सीमा चौकी सशस्त्र सीमा बल ककरहवा में कस्टम विभाग, नेपाल APF तथा नेपाल पुलिस के साथ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। यह आयोजन सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आपसी समन्वय बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके उपरांत भारत-नेपाल सीमा पर संयुक्त पैदल गश्त की गई। इस बैठक में SSB की तरफ से श्री उज्जल दत्ता, कमांडेंट 43वी वाहिनी, निरीक्षक सामान्य-राम प्रताप सिंह, अरविंद नेगी, निरीक्षक कस्टम विभाग, श्री रोहित उपाध्याय थानाध्यक्ष मोहाना, नेपाल APF से निरीक्षक राम कुमार घिमरे और नेपाल पुलिस के SSI -माधव पंथी एवं वीरेंद्र यादव, चौकी प्रभारी ककरहवा शामिल हुए।

प्रेस नोट दिनांक 09.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना चिल्हिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से 01 आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि व ₹ 2,500/-के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ.अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 09.07.2025 को ST.N 1960/2002 मु0अ0सं0 31/1998 धारा 279,337,338,427 भा0द0वि0 में थाना चिल्हिया पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री अरूण कुमार चतुर्थ, न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एसीजेएम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त 01.निसार अहमद पुत्र भोला निवासी पुरानी नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की अवधि व ₹2,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी कृष्ण कुमार थाना चिल्हिया का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 09.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना गोल्हौरा पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार पीट के 02 आरोपीयों प्रत्येक को 01-01 वर्ष के कारावास व ₹ 6,500/-₹ 6,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 09.07.2025 को वाद सं0 184/2016 मु0अ0सं0 532/2014 धारा 323,504,506,326 भा0द0वि0 थाना गोल्हौरा में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री मनोज तिवारी अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में सम्बन्धित अभियुक्त 01.चेतराम पुत्र रामदीन 02.फत्तेलाल पुत्र प्रहलाद निवासीगण पिपरा थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर को 01-01 वर्ष के कारावास व ₹ 6,500/- ₹ 6,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बेचनराम लोधिया तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी पंकज कुमार थाना गोल्हौरा का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 09.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना गोल्हौरा पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार पीट के 03 आरोपीयों प्रत्येक को 01-01 वर्ष के कारावास व ₹ 7,000/- ₹ 7,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 09.07.2025 को वाद सं0 18/2016 मु0अ0सं0 521/2014 धारा 323,504,506,325 भा0द0वि0 तथा 3(1)(10) एससी एसटी एक्ट थाना गोल्हौरा में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री मनोज तिवारी अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में सम्बन्धित अभियुक्त 01.शम्भूनाथ पुत्र हरिओम त्रिपाठी 02.हरिओम पुत्र बेचन त्रिपाठी 03.ओम प्रकाश पुत्र बेचन त्रिपाठी निवासीगण पिपरा थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर को 01-01 वर्ष के कारावास व ₹ 7,000/- ₹ 7,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बेचनराम लोधिया तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी पंकज कुमार थाना गोल्हौरा का सराहनीय योगदान रहा।